

फारम-VIII - क

भवन की परमिट के अनुमोदन का फारम
उप-विधि सं०- 8(4) B.P Case No. 24/2025-26

आप के आवेदन संख्या- 33 तिथि- 27.11.2025 के संदर्भ में श्री/श्रीमती श्री बृजकिशोर प्रसाद सिंह वल्द शंकर प्रसाद सिंह के लिए

- (क) Basement + Ground + 4 Floor भवन के निर्माण
(ख) भवन के पुनर्निर्माण
(ग) भवन के परिवर्तन
(घ) विद्यमान भवन में परिवर्तन या परिवर्धन
(इ) भवन के उपयोग में परिवर्तन

बिहारशरीफ नगर निगम/नगर परिषद/नगर पंचायत/महानगर क्षेत्र/बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित विकास योजना/आयोजना प्राधिकार/आयोजना स्कीम के प्लॉट नं० (सी०एस०) 2816 & 2817 प्लॉट नं० (एम०एस०पी०) खाता नं० 704 होल्डिंग नं०- गाँव, मोहल्ला मधड़ा, वार्ड नं० 48 को के बावत निम्नलिखित शर्तों/निर्बंधनों के अध्याधीन एतद् द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है :-

- (क) भूमि/भवन का उपयोग अनन्य रूप से आवासीय -सह- व्यावसायिक भवन प्रयोजन के लिए किया जाएगा और इस प्राधिकार के पूर्व अनुमोदन के बिना उपयोग की किसी अन्य उपयोग के लिए परिवर्तित नहीं किया जायेगा।
(ख) विकास पूर्ण रूप से आवश्यक अनुमति के पृष्ठांकन के साथ संलग्न योजनाओं के अनुसार किया जाएगा।
(ग) अनुमोदित योजना में दर्शाया गया शून्य. वर्ग मीटर का पार्किंग स्थान खुला रखा जाएगा और इसके किसी किसी भाग पर निर्माण नहीं किया जाएगा।
(घ) प्रस्तावित निर्माण वाली भूमि 22.86 मीटर चौड़ाई के अनुमोदित पहुँच मार्ग के माध्यम से सुगम्य होगी।
(इ) प्रश्नगत भूमि आवेदक के विधिपूर्ण स्वामित्व एवं शांतिपूर्ण कब्जा में अवश्य हो।
(च) सड़क को मानक चौड़ाई तक और चौड़ी कूँचे के लिए आवेदक, विभिन्न विकास योजना/आयोजना प्राधिकारों/या बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित किसी योजना स्कीम के अधीन आच्छादित सुसंगत आयोजना प्राधिकार/ग्राम पंचायत क्षेत्रों के अधीनस्थ बिहारशरीफ नगर निगम नगर निगमों/नगर परिषद/नगर पंचायत/महानगर क्षेत्र/आयोजना क्षेत्र में मीटर चौड़ी भूमि की पट्टी मुफ्त उपहार के रूप में देगा।
(छ) अनुमति (अनुज्ञा) जारी किए जाने की तारीख से पाँच वर्षों की अवधि के लिए विधिमान्य होगी।
(ज) इस उपबंध के अधीन दी गयी अनुमति को उस भूखंड, जिसके लिए योजना अनुमोदित की गयी हो, के अधिकार, हक, हित की बाबत साक्ष्य नहीं मानी जाएगी।
(झ) योजना के अनुमोदन के पश्चात् भू-अभिलेख के कारण या अधिकार/हक/हित की बाबत कोई विवाद होने पर विवाद की अवधि के दौरान योजना का अनुमोदन स्वतः रद्द समझी जाएगी।
(ञ) कोई अन्य शर्त

ह-10

नगर आयुक्त,
बिहारशरीफ नगर निगम।

ज्ञापक सं० 2534, दिनांक 19-12-2025

प्रतिलिपि:- अनुमोदित योजनाओं की दो प्रतियों के साथ श्री/श्रीमती श्री बृजकिशोर प्रसाद सिंह वल्द शंकर प्रसाद सिंह, मोहल्ला- मधड़ा, वार्ड नं० 48 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

नगर आयुक्त,
बिहारशरीफ नगर निगम।

19/12/25